

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्र. एफ 1527/2020/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4/12/2020

- |  |   |
|--|---|
| 1. प्रमुख सचिव,<br>मध्यप्रदेश शासन<br>सहकारिता विभाग | 2. उप सचिव,<br>मध्यप्रदेश शासन<br>सामान्य प्रशासन विभाग |
| 3. आयुक्त<br>कोष एवं लेखा<br>भोपाल                   | 4. संचालक<br>स्थानीय निधि संपरीक्षा<br>भोपाल            |

विषय :- म.प्र. राज्य तिलहन संघ से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति/ संविलियन पर पदस्थ कार्मिकों के संबंध में।


संदर्भ :- वित्त विभाग का पत्र क्रमांक/1417/694/2020/नियम/चार दिनांक 11/11/2020

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में म.प्र. राज्य तिलहन संघ से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति/ संविलियन पर पदस्थ कार्मिकों हेतु दिनांक 18.11.2020 को बैठक आयोजित की गयी थी।

बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न :- यथोक्त

  
04/12/2020


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 4/12/2020

पृ.क्र. एफ 1528/2020/नियम/चार

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
2. समस्त संभागीय सयुक्त संचालक कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।

  
04/12/2020

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

4/ विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासकीय विभागों में प्रतिनियुक्ति/संविलियन तिलहन संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निर्धारण संबंधित संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा अन्य संस्थानों के कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निर्धारण संबंधित स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा कराये जाने के पश्चात् ही किसी प्रकार का भुगतान किया जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)



(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

//कार्यवाही विवरण//

विषय:- म.प्र. राज्य तिलहन संघ से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति/संविलियन पर पदस्थ कार्मिकों के संबंध में।

--00--

प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 18/11/2020 को बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री उमाकान्त उमराव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग
2. श्री गुलशन बामरा, सचिव, वित्त विभाग
3. सुश्री रूही खान, उप सचिव, सा0प्र0वि0
4. श्री अखिल कुमार वर्मा, उप सचिव, वित्त विभाग
5. श्री अजय चौबे, वित्त विभाग, परामर्शी
6. श्री व्ही0के0सिंह, परिसमापक, सहकारिता
7. श्री व्ही0एस0शुक्ला, अतिरिक्त आयुक्त पंजीयक
8. सुश्री रंजना पाटले, अवर सचिव, सा0प्र0वि0

2/ बैठक में प्रमुख सचिव, सहकारिता के द्वारा तिलहन संघ से राज्य शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति/संविलियन सेवायुक्तों के संबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी से अवगत कराया गया। प्रचलित प्रकरणों को मूल प्रकरण के साथ मर्ज करते हुए मा0 उच्च न्यायालय ने विषयों के अनुरूप 15 विभागों में क्लब कर प्रथम सुनवाई 01 दिसम्बर, 2020 को होने की जानकारी से अवगत कराया।

3/ उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सभी प्रकरणों में शासन पक्ष समर्थन में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।

//2//

4/ विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासकीय विभागों में प्रतिनियुक्ति/संविलियन तिलहन संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निर्धारण संबंधित संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा अन्य संस्थानों के कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन निर्धारण संबंधित स्थानीय निधि संपरीक्षा के द्वारा कराये जाने के पश्चात् ही किसी प्रकार का भुगतान किया जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)



(अखिल कुमार वर्मा)  
उप सचिव, वित्त विभाग